

निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :- 52/24

दायरा दिनांक :- 24.05.2024

निर्णय दिनांक :- 15/9/2025

उनवान

1. शुभम शर्मा उम्र 32 वर्ष पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं० बी-432 श्रीनाथपुरम कोटा तहसील लाडपुरा जिला बारां राज०

-वादीगण

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र अरविन्द कुमार
2. ब्रजेश कुमार पुत्र अरविन्द
3. भंवरी बाई पत्नी प्रभूलाल(मृतक)
4. शांति बाई पत्नी अरविन्द
5. सत्यनारायण पुत्र प्रभूलाल
6. रूपचन्द पुत्र प्रभूलाल
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब, बारां, अन्ता जिला बारां राज०


प्रतिवादीगण-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर० टी० एक्ट


निर्णय दिनांक :- 15/9/2025

- अभिभाषक उपस्थित :-
1. श्री भगवान सिंह दाधीच एड०-वादी
 2. श्री दशरथ दाधीच एड०-प्रतिवादीगण

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ग्राम माथना तहसील बारां में खाता संख्या नया 136 पुराना 139 में खसरा नं० 1058 रकबा 0.02 हे० ख० नं० 322 रकबा 0.15 हे० ख० नं० 324 रकबा 0.46 हे० ख० नं० 325 रकबा 0.27 हे० ख० नं० 330 रकबा 0.15 हे० ख० नं० 333 रकबा 0.05 हे० ख० नं० 334 रकबा 0.21 हे० ख० नं० 336 रकबा 0.23 हे० ख० नं० 988 रकबा 1.82 हे० किता 9 रकबा 3.36 हे० भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/15 भूमि तथा ग्राम माथनी तहसील बारां में खाता संख्या 148 में खसरा नं० 1185 रकबा 0.01 हे० ख० नं० 1186 रकबा 0.01 हे० ख० नं० 1187 रकबा 0.09 हे० किता 3 रकबा 0.13 हे० भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 1/5 भूमि तथा ग्राम माथनी तहसील बारां में से खाता संख्या 149 में खाता संख्या 1189 रकबा 0.88 हे० ख० नं० 1190 रकबा 0.88 हे० किता 2 रकबा 1.76 हे० भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/15 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


उप खण्ड अधिकारी
बारां


उक्त भूमि पुश्तैनी है जो वादी को उक्त भूमि अपने दत्तक पिता श्री प्रेमबिहारी से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/15 व 1/15 तथा 4/15 भूमि दर्ज है। प्रेमबिहारी का स्वर्गवास दिनांक 07.05.2023 को हो चुका है। तथा प्रेमबिहारी की पत्नी जगन्नाथी बाई का देहान्त दनके पूर्व दिनांक 08.04.2015 को हो गया है। प्रेमबिहारी का एक मात्र वारिस दत्तक पुत्र वादी है जो प्रेमबिहारी के जीवनकाल से ही उक्त जमीन की देखरेख करता आ रहा है। तथा काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने ही प्रेमबिहारी की पगडी बांधी थी तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम क्रियाकर्म किया था। वादी उक्त विवादित आराजी प्रेमबिहारी के हिस्सा 4/15 व 1/5 तथा 4/15 भूमि पर काबिज काश्त वादी प्रेमबिहारी का दत्तक पुत्र होने काबिज काश्त होने से वादी को बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रेमबिहारी के कोई औलाद नहीं होने से सत्यनारायण के पुत्र वादी को बाल्यावस्था 10 वर्ष से ही गोद ले रखा है। उनकी देखरेख वादी के द्वारा की जाती थी। तथा प्रतिवादीगणों ने वादी को गोद रखने की सहमति प्रदान की थी। इसलिए वादी प्रेमबिहारी के हिस्से की भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित होने का हक अधिकार है। वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार से दखलदाजी नहीं करें रहन, बेचान या खुर्द-बुर्द नहीं करें। काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई दखलांदाजी नहीं करें, जब तक उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम खाते दर्ज नहीं हो जावें तब सम्पूर्ण खाते की भूमि को रहन, बेचान या खुर्द-बुर्द नहीं करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें। वाद कारण दिनांक 24.03.2024 को प्रतिवादी क्रम 7 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने की कहने पर प्रतिवादी क्रम 7 के द्वारा न्यायालय में वाद दायर करने की हिदायत दह गयी जिय कारण वाद बमुकाम ग्राम बारां तहसील बारां में उत्पन्न हुआ। कि ग्राम माथना तहसील बारां में खाता संख्या नया 136 पुराना 139 में खसरा नं0 1058 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 322 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 324 रकबा 0.46 हे0, खसरा नं0 325 रकबा 0.27 हे0, खसरा नं0 330 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 333 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 334 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 336 रकबा 0.23 हे0, खसरा नं0 988 रकबा 1.82 हे0, किता 9 रकबा 3.36 हे0, भूमि मे से प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/15 भूमि पर वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा ग्राम माथनी तहसील बारां में खाता संख्या 148 में खसरा नं0 1185 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 1186 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 1187 रकबा 0.09 हे0 किता 3 रकबा 0.13 हे0 भूमि मे से प्रेमबिहारी का हिस्सा 1/5 भूमि पर वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा ग्राम माथनी तहसील बारां में खाता संख्या 149 में खसरा संख्या 1189 रकबा 0.88 हे0, खसरा नं0 1190 रकबा 0.88 हे0, किता 2 रकबा 1.76 हे0 भूमि मे से प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/5 भूमि पर वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।


उप खण्ड अधिकारी
बारां

वादी का वाद दर्ज रजि० कर प्रति वादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम माथना सम्वत् 2071-74 खाता संख्या 136, पुराना 139, नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071-74 खाता संख्या 148, पुराना 144, नकल जमाबन्दी सम्वत् ग्राम माथनी 2071-74 खाता संख्या नया 149, पुराना 145, पेश की गई।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा न्याया० में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है कि ग्राम माथना तहसील बारां में खाता संख्या नया 136 पुराना 139 में खसरा नं० 1068 रकबा 0.02 हे० ख० नं० 322 रकबा 0.15 हे० ख० नं० 324 रकबा 0.46 हे० ख० नं० 325 रकबा 0.27 हे० ख० नं० 330 रकबा 0.15 हे० ख० नं० 333 रकबा 0.05 हे० ख० नं० 334 रकबा 0.21 हे० ख० नं० 336 रकबा 0.23 हे० ख० नं० 988 रकबा 1.82 हे० किता 9 रकबा 3.36 हे० भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/15 भूमि ग्राम माथनी तहसील बारां में खाता संख्या 148 में खसरा नं० 1185 रकबा 0.03 हे० ख० नं० 1186 रकबा 0.01 हे० ख० नं० 1187 रकबा 0.09 हे० किता 3 रकबा 0.13 हे० भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 1/5 भूमि तथा ग्राम माथनी तहसील बारा मे खाता संख्या 1189 रकबा 0.88 हे० ख० नं० 1190 रकबा 0.88 हे० किता 2 रकबा 1.76 हे० भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/15 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी प्रेमबिहारी जी का दत्तक पुत्र है। उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी है उक्त भूमि प्रभूलाल के खाते दर्ज थी जिनके वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 वारिस है। उक्त वारिसान में से प्रेमबिहारी का स्वर्गवास दिनांक 07.05.2023 को गया है। प्रेमबिहारी की पत्नी जगन्नाथी बाई का देहान्त दनके पूर्व दिनांक 08.04.2015 को हो गया है। प्रेमबिहारी के वारिस में एक मात्र वादी का दत्तक पुत्र है। जो प्रेमबिहारी के हिस्से 4/15, 1/5 व 4/15 भूमि पर काबिज काश्त है। प्रेमबिहारी के कोई जायज वारिस नही होने से वादी को अपने भाई सत्यनारायण के पुत्र शुभम को दत्तक रखा है। जो प्रेमबिहारी का दत्तक पुत्र है। वादी एवं प्रतिवादी गण क्रम 1 ता 6 लोक अदालत की भावना से उक्त विवादग्रस्त आराजियात का आपसी समझौते के अनुसार राजीनामा कर लिया है जो प्रेमबिहारी कि हिस्से 4/15, 1/15 व 4/15 भूमि पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 सहमत है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी को उक्त विवादित आराजी की भूमि पर बतौर खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 कोई ऐतराज नही है। उक्त उनवान के प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया है। जिससे दोनो पक्ष सहमत है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि ग्राम माथना तहसील बारां में से खाता संख्या नया 136 पुराना 139 में ख० नं० 1068 रकबा 0.02 हे० ख० नं० 322 रकबा 0.15 हे० ख० नं० 324 रकबा 0.46 हे० ख० नं० 325 रकबा 0.27 हे० ख० नं० 330 रकबा 0.15 हे० ख० नं० 333 रकबा 0.05 हे० ख० नं० 334 रकबा 0.21 हे० ख० नं० 336


उप खण्ड अधिकारी
बारां

रकबा 0.23 हे० ख० नं० 988 रकबा 1.82 हे० किता 9 रकबा 3.36 हे० भूमि में से वादी का हिस्सा 4/15 भूमि का तथा ग्राम माथनी तहसील बारा में खाता संख्या 148 में खसरा नं० 1185 रकबा 0.03 हे० ख० नं० 1186 रकबा 0.01 हे० ख० नं० 1187 रकबा 0.09 हे० किता 3 रकबा 0.13 हे० भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 1/5 भूमि तथा ग्राम माथनी तहसील बारा में खाता संख्या 149 में खाता संख्या 1189 रकबा 0.88 हे० ख० नं० 1190 रकबा 0.88 हे० किता 2 रकबा 1.76 हे० भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/15 भूमि को वादी की खातेदारी काश्तकार कृषक घोषित किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी के हिस्से 4/15, 1/5 व 4/15 भूमि खाते दर्ज कर दी जावें। तथा शेष आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के नाम दर्ज कर दी जाये।

अभिभाषक उभय पक्षकारान प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान को पढ़ कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा सुनकर समझ कर स्वीकार किया गया। तथा अपनी सहमति जाहिर की जिनकी पहचान अभिभाषक गण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा सहमति व सन्तुष्टी के आधार पर तस्दीक किया जाकर शा. मि. किया गया। वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक-आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम माथना तहसील बारा में ख० नं० 1068 रकबा 0.02 हे०, ख० नं० 322 रकबा 0.15 हे०, ख० नं० 324 रकबा 0.46 हे०, ख० नं० 325 रकबा 0.27 हे०, ख० नं० 330 रकबा 0.15 हे०, ख० नं० 333 रकबा 0.05 हे०, ख० नं० 334 रकबा 0.21 हे०, ख० नं० 336 रकबा 0.23 हे०, ख० नं० 988 रकबा 1.82 हे०, कुल किता 9 रकबा 3.36 हे०, भूमि में से वादी का हिस्सा 4/15 तथा ग्राम माथनी के ख० नं० 1185 रकबा 0.03 हे०, ख० नं० 1186 रकबा 0.01 हे०, ख० नं० 1187 रकबा 0.09 हे०, कुल किता 3 रकबा 0.13 हे०, भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 1/5 तथा ग्राम माथनी के खसरा नं० 1189 रकबा 0.88 हे०, ख० नं० 1190 रकबा 0.88 हे०, कुल किता 2 रकबा 1.76 हे०, भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/15 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश तहसीलदार बारा को दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी है।

निर्णय लिखा जाकर सरे इनलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी बारा
उप खण्ड अधिकारी
बारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 52/24	धारा अन्तर्गत 88,89,188 आर. टी. एक्ट	अन्तिम निर्णय दिनांक : 15/9/2025
समक्ष : श्री विश्वजीत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति अभिभाषक वादी:- श्री भगवान सिंह दाधीच एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:- श्री दशरथ सिंह दाधीच एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

- शुभम शर्मा उम्र 32 वर्ष पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मकान न0 बी-432 श्रीनाथपुरम कोटा तहसील लाडपुरा जिला बारां राज0

-वादीगण

बनाम

- दिनेश कुमार पुत्र अरविन्द कुमार
- ब्रजेश कुमार पुत्र अरविन्द
- भंवरी बाई पत्नी प्रभूलाल(मृतक)
- शांति बाई पत्नी अरविन्द
- सत्यनारायण पुत्र प्रभूलाल
- रुपचन्द पुत्र प्रभूलाल
- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब, बारां, अन्ता जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण-

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम माथना तहसील बारां में ख0 नं0 1068 रकबा 0.02 हे0, ख0 नं0 322 रकबा 0.15 हे0, ख0 नं0 324 रकबा 0.46 हे0, ख0 नं0 325 रकबा 0.27 हे0, ख0 नं0 330 रकबा 0.15 हे0, ख0 नं0 333 रकबा 0.05 हे0, ख0 नं0 334 रकबा 0.21 हे0, ख0 नं0 336 रकबा 0.23 हे0, ख0 नं0 988 रकबा 1.82 हे0, कुल किता 9 रकबा 3.36 हे0, भूमि में से वादी का हिस्सा 4/15 तथा ग्राम माथनी के ख0 नं0 1185 रकबा 0.03 हे0, ख0 नं0 1186 रकबा 0.01 हे0, ख0 नं0 1187 रकबा 0.09 हे0, कुल किता 3 रकबा 0.13 हे0, भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 1/5 तथा ग्राम माथनी के खसरा नं0 1189 रकबा 0.88 हे0, ख0 नं0 1190 रकबा 0.88 हे0, कुल किता 2 रकबा 1.76 हे0, भूमि में से प्रेमबिहारी का हिस्सा 4/15 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते हैं।

साथ ही नियमानुसार.....रु0 का व्ययानुतोष.....द्वारा..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 15/9/2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला--बारां

**उप खण्ड अधिकारी
बारां**

क्र.सं	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/शक्तिपूर्ति		
9.	व्याज ()		
10.	योग		